[illegible]

21.7.24	সমাপনী খরচা উকিল আদি জমা। বিবাদ প্রবাড় সংক্রান্ত টাকা স্বীকার দিলাম রাখা এবং ফাইলে ডিক্রী দিলাম রাখাই, বিস্তারিত নির্দেশ পুস্তকে লিখিয়া রাখা।

मुकदमा नं. ....

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	प्रा॰ पत्र मिला तथा पत्रावली पेश हुआ [illegible] की [illegible] तलबाना तामील [illegible] है। [illegible]	

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 108 / 2009 तारीख दायरा 03.11.2009

उनवान

1. ओम प्रकाश दाधीच पुत्र नन्द किशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद हाल निवासी सिविल लाईन कॉलोनी सीसवाली चौराहे के पास अंता जिला बारां।
3. गिरिराज प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद।
4. प्रेम शंकर पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी सी.ओ. पुरूषोत्त्म सोनी का मकान सीताराम स्थल के पास अंता जिला बारां।
5. अनिल कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी सी.ओ. श्री जगदीश भटनागर मकान सं. 20 सराय का स्थान लाल ब्रुज जिला कोटा।
6. लाड कंवर पुत्र नन्दकिशोर पत्नि जाति ब्राह्मण निवासी निवासी खण्डगांव तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. चन्द्रकान्ती बाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नि दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पोस्ट पचैल तहसील अंता जिला बारां।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील वादी) दिनांक :– 21.7.2025

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

--- निर्णय ---

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का वाद पेश किया कि –

- वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 7 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी माल ग्राम मण्डाप एवं माल ग्राम मकडावद में निम्न खसरा नम्बरान की स्थित है –

माल ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर
मण्डाप	14 नई	158	2.20
		200	0.01
		354	0.02
		439 कुंआ	0.02
		440	6.42
		486	0.01
		487	2.24
		551	3.13
	कुल किता 8 की कुल 14.05 हैक्टर भूमि		
मकडावद	169 नई	670	1.42
	कुल किता 1 की कुल 1.42 हैक्टर भूमि		

- इस प्रकार कुल 9 किता की 15.92 है. भूमि स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण के पिता नन्दकिशोर ने अपने जीवनकाल में ही अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच कर दिया था और उक्त बंटवारे के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण क पिता स्व. नन्दकिशोर के जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं. 6 व 7 जो कि वादी व प्रतिवादी 1 ता 5 की सगी बहने हैं को आने जीवनकाल में ही शादी ब्याह करके उनके हिस्से का प्रतिफल दे दिया था और प्रतिवादी सं. 6 व 7 ने आने हिस्से की आराजी 1/8–1/8 हिस्से को अपने सभी भाई वादी व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

सं. 1 ता 5 में समान रूप से हक छोड दिया था, जिसके मुताबिक वादी का उपरोक्त वर्णित आराजी में 1/6 हिस्सा निहित है, जिसे वादी बहैसियत खातेदार काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और अपने पिता द्वारा किये गये बंटवारे अनुसार विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। पूर्व में आपकी सहमति से किये गये बंटवारे का विवरण निम्न प्रकार है –

1. वादी ओम प्रकाश के हिस्से में आयी आराजी – माल ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद में स्थित खाता सं. 14 के ख.न. 551 की 3.13 हैक्टा तलवाडा में से 2. 57 है. पूर्वी तरफ की।
2. प्रतिवादी सं. 1 बनवारी लाल के हिस्से में आयी आराजी – माल ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद में स्थित खाता सं. 14 के ख.न. 158 की 2.20 है. संपूर्ण, ख.न. 200 की 0.01 है. ट्यूबवेल, ख.न. 354 की 0.02 है., माल ग्राम मकडावद के खाता सं. 169 के ख.न. 670 की 1.42 है. में से 0.35 है. पश्चिमी तरफ की।
3. प्रतिवादी सं. 2 जगदीश प्रसाद के हिस्से में आयी आराजी – माल ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद की खाता सं. 14 की ख.न. 440 की डोहली 6.42 है. में से 2. 08 है. दक्षिणी पश्चिमी एवं माल ग्राम मकडावद में खाता संत्र 169 के ख.न. 670 की 1.42 है. में से 0.50 है. पूर्वी तरफ प्रेम के पास वाली।
4. प्रतिवादी सं. 3 गिरिराज प्रसाद के हिस्से में आयी आराजी – माल ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद की खाता सं. 14 के ख.न. 486 की ट्यूबवेल 0.01 है., ख.न. 487 की 2.24 है. भूरया वाला एवं ख.न. 551 की 3.13 है. में से 0.33 है. दक्षिणी पश्चिमी तरफ की।
5. प्रतिवादी सं. 4 प्रेम शंकर के हिस्से आयी आराजी – माल ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद स्थित खाता सं. 14 की ख.न. 439 की 0.02 है. कुंआ, ख.न. 440 की 6.42 है. में से 2.28 है. उत्तरी तरफ, ख.न. 551 की 3.13 है. में से 0. 23 है. उत्तरी पश्चिमी व माल ग्राम मकडावद के ख.न. 670 की 1.42 है. में से 0.07 है. पूर्वी तरफ की।
6. प्रतिवादी सं. 5 अनिल के हिस्से में आयी आराजी – माल ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद में स्थित खाता सं. 14 के ख.न. 440 डोहली की 6.42 है. में से 2.08 है. दक्षिणी पूर्वी व माल ग्राम मकडावद की ख.न. 670 की 1.42 है. में से 0.50 है. मध्य की।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

- उक्त वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 स्व नन्दकिशोर के द्वारा उनके जीवनकाल में किये गये बंटवारे के अनुसार ही मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। परन्तु वादी को उक्त आराजी पर कृषि ऋण प्राप्त करने व आराजी का विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी ने प्रतिवादी से एक माह पूर्व तहसील कार्यालय में जाकर आपसी सहमति से उक्त वर्णित विभाजन अनुसार आराजी का बंटवारा करवाने की कहने पर प्रतिवादीगण के द्वारा असमर्थता जाहिर की इसलिए वादी के लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।
- अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि –

  माल ग्राम नम्डाप व माल ग्राम नकडावद तहसील सांगोद में स्थित आराजी में प्रतिवादी सं. 6 व 7 लाडकंवर व चन्द्रकान्ती बाई द्वारा उनका हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के हक में समान रूप से छोड़ देने से वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का समान हक होने से वादी को 1 /6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावे तथा प्रतिवादी सं. 6 व 7 का नाम खाते से डिलीट करने का आदेश फरमाया जावे। वाद पत्र में वर्णित आराजी का अपने पिता स्व. नन्दकिशोर के जीवनकाल में आपसी सहमति से हुए विभाजन वाद पत्र अनुसार रेकार्ड में दर्ज किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किये जावे तथा विभाजन की डिक्री पारित फरमाई जावे।
- वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगन की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 8 का जवाब प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त वकील वादी द्वारा एकतरफा बहस की गई। प्रकरण के पक्ष में वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।
- मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, बहस वादी पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल

सांगोद जिला कोटा

में लाई गई है, संभवतः वे वाद में वर्णित तथ्यों से सहमत हैं। अतः पत्रावली में तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, नकल जमाबंदी, जवाब सरकार, बहस अधिवक्ता वादी, साक्ष्य आदि का अवलोकन करने के उपरान्त वाद वादी स्वीकार करने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.02.2021 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया जाकर प्रतिवादी सं. 6 व 7 के हिस्से तक का रिलीज डीड पंजीयन शुल्क जमा होने के पर प्रतिवादी सं. 6 व 7 का नाम रेकार्ड से डिलीट कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को विवादित आराजी में 1/6–1/6 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया गया तथा तहसीलदार सांगोद को रेवेन्यु नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया।

- इसके उपरान्त तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक राजस्व/2025/892 दिनांक 03.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त पत्रावली बहस विभाजन प्रस्ताव में नियत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 6 व 7 के हिस्से तक का बनने वाल पंजीयन शुल्क जमा करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण प्रकरण में प्रतिवादी सं. 6 व 7 का हिस्सा यथावत रहेगा तथा वादी व प्रतिवादी संयुक्त रूप से पूर्व की भांति खातेदार रहेगें।
- मेरे द्वारा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी सं. 2, 4, 5, 6, 7 की उपस्थिति में तैयार किया गया है तथा इनके द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर भी किए गए हैं। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद स्थित ख.न. 158, 200, 354, 439, 440, 486, 487, 551 कुल किता 8 की 14.05 है. एवं माल ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

मकडावद तहसील सांगोद की ख.न. 670 की 1.42 है. भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को निम्न अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
मण्डाप	ओम प्रकाश पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण पूर्ण हिस्सा रहन बदस्तुर	551 पूर्वी	2.57	56.54
	किता 1 की कुल 2.57 है. आराजी			56.54

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
मण्डाप	अनिल कुमार पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 1/5, गिरिराज प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 1/5, जगदीश पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 3/20, प्रेमशंकर पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 1/5, बनवारी लाल पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 1/5, चन्द्रकांती पुत्री नन्दकिशोर हिस्सा 1/40, लाडकंवर पुत्री नन्दकिशोर हिस्सा 1/40 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर	551	0.56 पश्चिमी	12.32
		158	2.20	48.40
		200	0.01	–
		354	0.02	0.32
		439	0.02	–
		440	6.42	141.24
		486	0.01	–
		487	2.24	49.28
	कुल किता 8 की 11.48 है. आराजी			251.56

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा है.	लगान
मकडावद	अनिल कुमार पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 1/5, गिरिराज प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 1/5, जगदीश पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 3/20, प्रेमशंकर पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 1/5, बनवारी लाल पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 1/5, चन्द्रकांती पुत्री नन्दकिशोर हिस्सा 1/40, लाडकंवर पुत्री नन्दकिशोर हिस्सा 1/40 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर	670	1.42	31.24
	किता 1 की कुल 1.42 है. आराजी			31.24

Scanned with OKEN Scanner

उक्त घोषणा के अनुक्रम में आराजी का विभाजन किया जाकर राज लगान पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शाट्रेस में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 21.7.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner